



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 चैत्र 1943 (श0)

(सं0 पटना 187) पटना, मंगलवार 23 मार्च 2021

भवन निर्माण विभाग

अधिसूचना

19 मार्च 2021

बिहार भवन निर्माण विभाग अवर अभियंत्रण (याँत्रिक) संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली-2021

सं०-भवन-3/स्था०-विविध-17/2013/2024(भ)—भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार भवन निर्माण विभाग अवर अभियंत्रण (याँत्रिक) संवर्ग में भर्ती एवं सेवा शर्त को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

भाग-I

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।- (1) यह नियमावली, “बिहार भवन निर्माण विभाग अवर अभियंत्रण (याँत्रिक) संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली-2021” कही जा सकेगी।
 - इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- परिभाषाएँ।- इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय या सन्दर्भ के प्रतिकूल न हो-
 - “सरकार” से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
 - “विभाग” से अभिप्रेत है भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार;
 - “नियुक्ति प्राधिकार” से अभिप्रेत है, भवन निर्माण विभाग का अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव अथवा विभाग द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी;
 - “आयोग” से अभिप्रेत है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग;
 - “संवर्ग” से अभिप्रेत है, बिहार भवन निर्माण विभाग अवर अभियंत्रण (याँत्रिक) संवर्ग;
 - “संवर्ग के सदस्य” से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति;

3. **संवर्ग का गठन।-** बिहार भवन निर्माण विभाग अवर अभियंत्रण (याँत्रिक) संवर्ग के अधीन मूल कोटि का पद “कनीय अभियंता (याँत्रिक)” होगा। इस पद के लिए सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथा विनिश्चित वेतनमान एवं ग्रेड-पे देय होगा।
4. **स्वीकृत बल।-** इस संवर्ग का स्वीकृत बल, समय-समय पर, राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।
5. **आरक्षण।-** बिहार पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) के अधिनियम, 1991 (अधिनियम-3, 1992) (समय - समय पर यथा संशोधित) एवं उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के प्रावधान एवं संकल्प संख्या-963 दिनांक-20.01.2016 द्वारा यथा विहित महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या-2622 दिनांक-26.02.2019 द्वारा यथा विहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए क्षैतिज आरक्षण एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-13062 दिनांक-12.10.2017 द्वारा यथा विहित दिव्यांगता से ग्रसित उम्मीदवारों के लिए क्षैतिज आरक्षण तथा राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर यथा विहित रोस्टर एवं आरक्षण के प्रावधान इस संवर्ग की नियुक्ति में लागू होंगे।

भाग-II

संवर्ग में नियुक्ति

6. **नियुक्ति।-** इस संवर्ग में प्रथम नियुक्ति सीधी भर्ती के आधार पर कनीय अभियंता (याँत्रिक) के पद पर होगी। इस पद पर प्रोन्नति के आधार पर कोई प्रवेश नहीं होगा।
7. नियुक्ति प्राधिकार द्वारा प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल को रिक्तियों की गणना कोटिवार की जायेगी एवं तदनुसार विभाग के माध्यम से आयोग को 30 अप्रैल तक आरक्षण कोटिवार अध्याचना भेजी जायेगी।
8. नियम-7 के तहत दी गई अध्याचना के आधार पर आयोग द्वारा समय-समय पर, उस रीति से जैसा कि वह उचित समझे, इस संवर्ग की आरक्षण कोटिवार रिक्तियों को, सीधी भर्ती द्वारा सीधी नियुक्ति से भरने के लिए विज्ञापित करेगा।
9. **अहर्ताएँ।-** (1) इस संवर्ग में नियुक्त होने के लिए अहर्ता निम्नवत् होगी:-
 - (i) अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।
 - (ii) अवर अभियंत्रण संवर्ग के लिए याँत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यताधारी।
 - (iii) **चयन हेतु तकनीकी अहर्ता/योग्यता:-**
 - (क) कनीय अभियंता (याँत्रिक) का कुल स्वीकृत बल का 90% (नब्बे प्रतिशत) पद के लिए:-
 - (i) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE), नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों से याँत्रिक अभियंत्रण (Mechanical Engineering) में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता।
 - (ii) UGC Act के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित Deemed University द्वारा Non-Distance Mode में याँत्रिक अभियंत्रण में प्रदत्त डिप्लोमा बशर्ते कि उक्त Deemed University को याँत्रिक अभियंत्रण (Mechanical Engineering) में डिप्लोमा पाठक्रम संचालित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति प्राप्त हो।
 - (ख) कनीय अभियंता (याँत्रिक) का कुल स्वीकृत बल का 10% (दस प्रतिशत) पद के लिए:-
 - (i) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE), नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों से विद्युत अभियंत्रण (Electrical Engineering) में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता।
 - (ii) UGC Act के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित Deemed University द्वारा Non-Distance Mode में विद्युत अभियंत्रण में प्रदत्त डिप्लोमा बशर्ते कि उक्त Deemed University को विद्युत अभियंत्रण (Electrical Engineering) में डिप्लोमा पाठक्रम संचालित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति प्राप्त हो।
 - (2) अध्याचना वर्ष के 1ली अगस्त को अभ्यर्थी की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) के द्वारा समय-समय आरक्षण कोटिवार विनिश्चित उम्र सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए। किन्तु संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित कनीय

अभियंताओं (याँत्रिक) के लिए अधिकतम उम्र सीमा में संविदा नियोजन की कुल अवधि (अधिकतम 10 वर्षों) की छुट अनुमान्य होगी।

10. **चयन की प्रक्रिया।**-(1) इस संवर्ग के मूल कोटि कनीय अभियंता (याँत्रिक) के पदों पर चयन डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता में प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा किया जायेगा। बिहार सरकार या बिहार सरकार के अधीन किसी उपक्रम/निगम/निकाय/प्राधिकार/स्वशासी निकाय में संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (याँत्रिक) के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी, जो इस संवर्ग में भर्ती की अहर्ता पूरी करते हैं, को चयन में इस नियम के उप नियम-(2)(ख) के अनुसार अतिरिक्त अंक देकर अधिमानता दी जाएगी।

(2) **अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्नलिखित आधार पर तैयार की जाएगी-**

	पूर्णांक
(क) डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता के प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर	- 75 अंक
(ख) संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता (प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा)	- 25 अंक

कुल- 100 अंक

- (3) संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जाएगा। इस हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में अंकित कट-आफ डेट की अवधि तक की गणना कार्य अनुभव के लिए की जा सकेगी।
- (4) **याँत्रिक/विद्युत डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों की कनीय अभियंता (याँत्रिक) के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित रीति से की जायेगी:-**
- (क) इस नियमावली के नियम-5 के तहत कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार 40% पद राज्य के अधीन सरकारी पोलिटेक्निक संस्थानों से याँत्रिक/विद्युत डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेगी, जिन्हें आरक्षण कोटिवार उपरोक्त नियम-10(2) के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत तैयार मेधा सूची के आधार पर भरा जायेगा।
- (ख) शेष रिक्ति इस नियमावली के नियम-9(1)(iii) द्वारा निर्धारित योग्यता/अहर्ता के आधार नियम-10(2) में निर्धारित प्रक्रिया के तहत तैयार मेधा सूची के आधार पर भरा जायेगा।
- (ग) कंडिका-(ख) के रिक्ति पदों के सामान्य प्रक्रिया से भरे जाने के पश्चात् मेधा सूची के आधार पर कंडिका-(क) के अवशेष आरक्षित पदों को, राज्य के अधीन सरकारी पोलिटेक्निक से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से आरक्षण कोटिवार मेधा क्रम में चयन द्वारा भरा जायेगा।

11. आयोग नियम-10 के अनुसार चयनित उम्मीदवारों की अंतिम मेधा सूची तैयार करेगा एवं उसे सरकार को नियुक्ति हेतु अनुशंसित करेगा। आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों का पैनल एक वर्ष के लिए वैध होगा।

भाग-III

प्रोन्नति एवं वरीयता

12. **प्रोन्नति।**- कनीय अभियंता (याँत्रिक) के पद से उच्चतर पदों पर प्रोन्नति बिहार अभियंत्रण सेवा नियमावली में विनिश्चित प्रावधानों के अधीन की जायेगी।

13. **वरीयता का अवधारण।**- आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा क्रम के अनुसार कनीय अभियंता (याँत्रिक) की वरीयता का अवधारण विभाग द्वारा किया जायेगा। पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत कनीय अभियंताओं की वरीयता अक्षुण्ण रहेगी।

भाग-IV**प्रकीर्ण**

14. **अनुशासन, नियंत्रण एवं अपील।-** (1) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधान अनुशासन, नियंत्रण एवं अपील के मामले में बिहार भवन निर्माण विभाग अवर अभियंत्रण (याँत्रिक) संवर्ग के सदस्यों पर लागू होंगे।
- (2) इस नियमावली में विशिष्ट रूप से अनुपबंधित सेवा शर्तें बिहार सेवा संहिता एवं राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर जारी अन्य निर्णयों से शासित होगी।
15. **कठिनाईयों का निराकरण।-** इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, विधि विभाग से परामर्श के पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो कठिनाईयों के निराकरण के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता हो।
16. **अवशिष्ट मामले:-**(1) इस संवर्ग में सभी अवशिष्ट मामले भवन निर्माण विभाग के प्राधिकार क्षेत्र में होंगे।
- (2) इस नियमावली में से किसी भी नियम के निर्वचन में किसी संदेह की दशा में उसे विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा और जिसपर विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा।
17. **निरसन एवं व्यावृत्ति।-** (1) इस संदर्भ में वर्तमान नियमावली/विनियमावली को एतद् द्वारा निरसित किया जाता है, किन्तु पूर्व नियमावली से अच्छादित कनीय अभियंता इस नियमावली द्वारा शासित होंगे।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावली/विनियमावली के अधीन किया गया अथवा की गयी कार्रवाई इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन किया गया अथवा की गई मानी जायेगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जब ऐसा कुछ भी किया गया अथवा ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

कुमार रवि,

सरकार के सचिव।

सं०-भवन-3/स्था०-विविध-17/2013/2024(भ) बिहार भवन निर्माण विभाग, अवर अभियंत्रण (याँत्रिक) संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली-2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचित नियमावली-2021 का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

कुमार रवि,

सरकार के सचिव।

The 19th March 2021
BIHAR BUILDING CONSTRUCTION DEPARTMENT SUBORDINATE
ENGINEERING (MECHANICAL) CADRE RECRUITMENT AND SERVICE
CONDITION RULES-2021

No-Building-3/Estt.-Misc.-17/2013/2024(भ)—In exercise of Powers conferred under the proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to regulate the recruitment and Service Condition of Bihar Building Construction Department Subordinate Engineering (Mechanical) cadre:-

Part-I

1. Short title, extent & Commencement:-

- (1) These Rules may be called the "BIHAR BUILDING CONSTRUCTION DEPARTMENT SUBORDINATE ENGINEERING (MECHANICAL) CADRE RECRUITMENT AND SERVICE CONDITION RULES-2021"
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come in force at once.

2. Definitions- In these Rules, unless anything is not contrary to the subject or context:-

- (i) "Government" means the Government of Bihar;
- (ii) "Department" means Building Construction Department, Government of Bihar;
- (iii) "Appointing Authority" means the Engineer-in-Chief-cum-Additional Commissioner-Special Secretary of Building Construction Department or any other officer authorized by the Department for this purpose.
- (iv) "Commission" means Bihar Technical Service Commission;
- (v) "Cadre" means Bihar Building Construction Department Subordinate Engineering (Mechanical) Cadre;
- (vi) "Member of Cadre" means, all persons, regularly appointed and working under the provisions of these Rules.

3. Constitution of the cadre- "Junior Engineer (Mechanical)" will be the post of basic category under the Bihar Building Construction Department Subordinate Engineering (Mechanical) Cadre. The pay scale and grade pay as determined by the Government, from time to time for this post, shall be payable.

4. Sanctioned strength- The sanctioned strength of this Cadre shall be determined by the State Government, from time to time.

5. Reservation- The provisions of the Bihar Reservation of Vacancies in post and services (for Scheduled casts, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act-1991 (Act-3, 1992) (as amended from time to time) and the Rules made there under and the horizontal reservation for women issued by Resolution No.963 dated 20.01.2016, the horizontal reservation for Economically Weaker Section issued by General Administration Department Notification No.2622 dated 26.02.2019 and the horizontal reservation for Disabled candidate issued by General Administration Department Notification No.13062 dated 12.10.2017 and the roster and reservation as prescribed by the State Government, from time to time, shall be applicable to the appointment of this cadre.

Part-II**Appointment in the Cadre**

6. **Appointment-** First appointment in the Cadre will be by direct recruitment to the post of Junior Engineer (Mechanical). There shall be no entry on this post on the basis of promotion.
7. The appointing authority shall calculate the vacancies category wise on 1st April of every year and accordingly, the reservation category wise requisition will be sent through the department to the Commission by 30th April of every year.
8. On the basis of requisition made under Rule-7, the Commission, by such manner as it may deem proper, shall advertise the reservation category wise vacancies of this Cadre for filling by direct recruitment.
9. **Qualifications/Eligibilities** - (1) Qualifications for appointment in this cadre shall be as follows:-
 - (I) A Candidate must be a citizen of India.
 - (II) For the Subordinate Engineering Cadre, diploma or equivalent qualification holder in Mechanical Engineering.
 - (III) **Technical Qualification/Eligibilities for selection:-**
 - (a) For the 90% (Ninety percent) posts of the total sanctioned strength of Junior Engineer (Mechanical):-
 - (i) Diploma in Mechanical Engineering from the institutes recognized by AICTE, New Delhi or equivalent qualification.
 - (ii) Diploma in Mechanical Engineering by Non-Distance Mode from Deemed University under the provision of UGC ACT provided that the said Deemed University has received sanction of UGC for conducting Diploma course in Mechanical Engineering.
 - (b) For the 10% (Ten percent) posts of the total sanctioned strength of Junior Engineer (Mechanical):-
 - (a) Diploma in Electrical Engineering from the institutes recognized by AICTE, New Delhi or equivalent qualification.
 - (b) Diploma in Electrical Engineering by Non-Distance Mode from Deemed University under the provision of UGC ACT provided that the said Deemed University has received sanction of UGC for conducting Diploma course in Electrical Engineering.
 - (2) Age of applicant must not be less than 18 (eighteen) years as on the first August of the requisition year. Maximum age shall be within the reservation category wise Age-limit determined by the State Government (General Administrative Department) from time to time. But relaxation of maximum 10 (ten) years will be admissible to the Junior Engineers (Mechanical), already employed on contract basis, in the maximum age-limit.
10. **Procedure of Selection-** (1) Selection to the posts of basic category of Junior Engineer (Mechanical) of this cadre shall be made by the Commission on the basis of percentage of marks obtained in Diploma or equivalent Qualification. Candidates having working experience on the post of Junior Engineer (Mechanical) on contract basis under the Government of Bihar or in any undertaking/body/corporation/Authority/autonomous body under the Government of Bihar, who fulfil the qualifications of the recruitment in this cadre, shall be given weightage by giving additional marks according to sub rule (2)(b) of this Rule.

(2) Merit list of Candidates shall be prepared on the following basis:-

Full Marks

- | | | | |
|-----|--|---|----|
| (a) | On the basis of percentage of marks obtained in Diploma (Mechanical) or equivalent qualification | - | 75 |
| (b) | Maximum weightage for the working experience on contract basis (weightage of per working year shall be 5 marks maximum limit of which will be up to 25 marks. For part of any year, obtained proportionate mark by dividing by 365 to the no of working days in that year multiplying by number 5, will be added). | - | 25 |

Total - 100 Marks

- (3) Determination of working period on the contract basis shall be made on the basis of Payment Certificate issued by their respective controlling officers. For this, the period up to the cut off date mentioned in the advertisement published by the Commission shall be calculated for the working experience.
- (4) Appointment of the Mechanical/Electrical Diploma holder candidates as Junior Engineer (Mechanical) shall be made in the following manner:-
- (a) As per Rule-5 of these Rules, reservation category wise, 40% posts of total vacant posts shall be reserved for Mechanical/Electrical Diploma holder candidates from the Government Polytechnic Institutes under the State which will be filled up on the basis of Merit list prepared reservation category wise under the determined procedure by Rule 10(2).
 - (b) Remaining vacant post shall be filled on the basis of merit list prepared reservation category wise under the determined procedure in Rule-10(2) as per eligibilities/qualifications mentioned in Rule-9(1)(iii).
 - (c) After filling vacant posts of para-(b) through general procedure, the remaining reserved posts of para-(a) will be filled from remaining merit-list on the basis of category wise merit of candidates passing from the Government Polytechnics of the State.
11. The Commission shall prepare final merit-list of selected candidates according to Rule-10 and shall recommend it to the Government for appointment. The panel of candidates recommended by the Commission shall be valid for one year.

Part-III

Promotion and seniority

12. **Promotion-** Promotion from Junior Engineer (Mechanical) to higher post will be made under the provision made in the Bihar Engineering service Cadre Rules.
13. **Determination of Seniority-** Seniority of the Junior Engineers (Mechanical) shall be made by the Department in accordance with the merit list recommended by the Commission. Seniority of already appointed and working Junior Engineers (Mechanical) shall be unaffected.

Part-IV
Miscellaneous

- 14. Discipline, Control and Appeal-**(1) The provisions of The Bihar Government servants (Classification, Control and Appeal) Rules-2005 (as amended from time to time) shall apply to the member of The Bihar Building Construction Department subordinate Engineer (Mechanical) Cadre in the matters of discipline, controls and appeals.
(2) Service conditions particularly not provided under these rules, shall be governed by the Bihar Service Code and other decisions issued by the State Government, from time to time.
- 15. Removal of Difficulties:-** If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Rules, the Government, after consultation with the Law Department may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not in-consistent with the provisions of these Rules, as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.
- 16. Residual matters-** (1) All residual matter of this cadre shall be under the jurisdiction of Building Construction Department.
(2) In Case of any doubt in the interpretation of any rule of these Rules, the same will be referred to the Department and the decision of the Department, after consultation with Law Department, shall be final.
- 17. Repeal and savings-** (1) The present Rules and Regulations in this context are hereby repealed, but Junior Engineer covered by previous Rules will be governed by these Rules with effect from its notification.
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Rules/Regulation shall be deemed to be done or taken under these Rules as if these Rules were come into force on the day on which such thing was done or such action was taken.

By the order of Governor of Bihar,
Kumar Ravi,
Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 187-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>